

FORM NO. III

APP-A

फर्ड अहकाम

crim-I

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

गीता उर्फ कंनन

बनाम

सूरज वरि

किस्म मुकदमा

88,89,188 RT Act

नं.

25/17वा

सन

2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/2/2023	वाद पत्र/प्रार्थनापत्र धारा 88, 89, 188 RT Act के तहत एवं प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. के साथ वकील श्री रामबाबु शर्मा Adv. ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. पर वकील वादी/प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11/6/2023 को पेश हो।	
5/4/23	पत्रावली मिसल तलब फरमाने के प्रार्थना पत्र के साथ आज पेश हुई वकील वादी उपस्थित हैं। वादिया गीता उपस्थित हैं। वादिया ने निवेदन किया कि वह उक्त वाद को विद्रो करना चाहती हैं। निवेदन स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र विद्रो किये जाने से इस वाद में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से वाद पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वाद वकमील दाखिल दफतर हैं।	

गि गीता उर्फ कंनन

उपखण्ड अधिकारी

नैनवां (बून्दी)

